महत्वपूर्ण

संख्या :–562/पन्द्रह–1–2023

प्रेषक,

डॉ0 रूपेश कुमार
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक(मा0)
उ0प्र0, लखनऊ।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–1 लखनऊ: दिनांक: 31 मार्च, 2023

विषयः–प्रोजेक्ट अलंकार योजनान्तर्गत जनपद आजमगढ़ में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के जर्जर भवनों के पुनर्निर्माण जीर्णोद्धार कार्यों सुविधा आदि उपलब्ध कराये जाने हेतु नामित कार्यदायी संस्था राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड (पैकफेड) के स्थान पर अन्य कार्य संस्था को नामित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–स0मि0नि/4258/2022–23, दिनांक 23–08–2023 एवं जिलाधिकारी, आजमगढ़ के पत्रांकः–जि0 वि0नि0/प्रो0अ0/2022–23, दिनांक 29–03–2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रोजेक्ट अलंकार योजनान्तर्गत राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के जर्जर भवनों के पुनर्निर्माण जीर्णोद्धार कार्य हेतु जनपद आजमगढ़ में पैकफेड नामक कार्यदायी संस्था शासन द्वारा नामित की गयी थी। जनपद आजमगढ़ में पैकफेड संस्था का कार्य बहुत ही खराब रहा है, तथा उक्त संस्था पर धनराशि गबन का भी आरोप लगा है। अतः उक्त कार्यदायी संस्था के स्थान पर किसी अन्य कार्यदायी संस्था को नामित करने का अनुरोध किया है।

2– अतः जिलाधिकारी, आजमगढ़ द्वारा किये गये अनुरोध एवं आपके द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश संख्या–25/पन्द्रह–1–2022–33 (02)/21, दिनांक 17 मई 2022 द्वारा नामित कार्यदायी संस्था उ०प्र० राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड (पैकफेड) के स्थान पर उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, यू0पी0 सिडको को कार्यदायी संस्था नामित किया जाता है।

3– उक्त कार्यदायी संस्था द्वारा प्रोजेक्ट अलंकार योजनान्तर्गत जनपद आजमगढ़ में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के जर्जर भवनों के पुनर्निर्माण जीर्णोद्धार कार्यों सुविधा आदि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में माध्यमिक

Scanned with OKEN Scanner

शिक्षा अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–2023/001-201/पन्द्रह–1–2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायगा तथा जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को आगे की धनराशि का हस्तान्तरण किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

4– प्रश्नगत मद में निर्धारित समयान्तर्गत कार्यदायी संस्था को धनराशि का हस्तान्तरण यदि नहीं किया जाता है तथा धनराशि लैप्स होती है, तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक का होगा।

भवदीय,

(एम० [illegible] कुमार)
विशेष सचिव

संख्या–562(1)/पन्द्रह–1–2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1– महानिदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
2– जिलाधिकारी, आजमगढ़।
3– संयुक्त शिक्षा निदेशक, आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़।
4– जिला विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़।

आज्ञा से,

(कृष्ण शंकर यादव)
उप सचिव।

Scanned with OKEN Scanner